धारा 113 : अपील अधिकरण के आदेश

(1) अपील अधिकरण अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् ऐसे विनिश्चय या आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, का पुष्टिकरण, उसमें उपांतरण या उसका बातिलीकरण करते हुए, उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे या अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण या मूल न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को ऐसे निदेशो, जिनको वह ठीक समझे, के साथ यदि आवश्यक हो, नए न्यायनिर्णयन या अतिरिक्त साक्ष्य लेने के पश्चात् विनिश्चय के लिए वापस निर्दिष्ट कर सकेगा।

(2) अपील प्राधिकरण, यदि पर्याप्त कारण दर्शित किए जाते हैं तो किसी अपील की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर, इस संबंध में कारणों को अभिलिक्षित करते हुए पक्षकारों या उनमें से किसी को समय मंजूर या अपील की सुनवाई स्थगित कर सकेगा :

परन्तु इस प्रकार का स्थगन अपील की सुनवाई के दौरान किसी एक पक्षकार को तीन बार से अधिक नहीं मंजूर किया जाएगा।

(3) अपील अधिकरण अभिलेख पर किसी प्रत्यक्ष त्रुटि को ठीक करने के लिए उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश को उस समय संशोधित कर सकेगा यदि ऐसी कोई त्रुटि स्वयं उसकी सूचना में आ जाती है या आयुक्त या राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त या अपील के किसी अन्य पक्षकार द्वारा आदेश की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर उसके सूचनार्थ लाई जाती है :

परन्तु ऐसा कोई संशोधन जिसका प्रभाव किसी निर्धारण में वृद्धि या प्रतिदाय अथवा इनपुट कर प्रत्यय में कमी करने वाला है या किसी अन्य पक्षकार के दायित्व में अन्यथा वृद्धि करने वाला है, इन उपधारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि पक्षकार को सुनने का अवसर न प्रदान किया जाए।

(4) अपील अधिकरण, यथासंभव रूप से, अपील के फाइल होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक अपील को सुनेगा और उसका विनिश्चय करेगा।

(5) अपील अधिकरण इस धारा के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति, यथास्थिति, अपील प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण या मूल न्यायनिर्णयन प्राधिकरण, अपीलार्थी और अधिकारिता रखने वाले आयुक्त या राज्य कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त को भेजेगा।

(6) धारा 117 या धारा 118 में यथाउपबंधित के सिवाय, अपील अधिकरण द्वारा किसी अपील पर पारित आदेश अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे।